there is no possibility of his tampering with the records or influencing the investigation.

Urban development works

1101. SHRIMATI KANAK MUKHERJEE: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 506 given in the Rajya Sabha on the 25th February, 1988 and state what specific works for urban development have been done, State-wise, during the last three years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): The components eligible for Central assistance under Integrated Development of Small and Medium Towns Scheme *inter alia* include residential area development for sites and services, traffic and transportation, markets and mandis, industrial estates, low cost sanitation etc. Besides the State Governments are also to include components such as slum improvement/upgradation, urban renewal, small scale employment generation activities, low cost water supply, sewer, drainage and sanitation; preventive medical facilities/health care, parks and playgrounds etc. out of the State Plan funds. Under the Scheme of Urban Basic Services, development activities under three broad categories of child survival and development, water supply and sanitation and community organisation are undertaken. The actual size of the projects and the components, however, vary from town to town and are decided in accordance with the needs and priorities of the towns concerned in consultation with the State Governments.

दिल्ली में बस्तियों को गंगा और यमुना से पीने के पानी की सप्लाई

1102. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की उन बस्तियों, विशेषकर पूर्वी दिल्ली की उन बस्तियों के नाम क्या-क्या हैं जिन्हें चालू वर्ष के दौरान गंगा और यमुना नदियों से पीने का पानी उपलब्ध कराए जाने की संभावना है ; और

(ख) उन बस्तियों के निवासियों को पीने के पानी की सप्लाई कब तक उपलब्ध करा दिये जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) वर्ष 1988-89 के दौरान नदियों और भूमिगत स्रोतों के माध्यम से 86 कालोनियों को पेयजल मुहैया करने का प्रस्ताव है । इनमें से 67 कालोनियां शाहदरा क्षेत्र से संबंधित हैं (विवरण संलग्न है) । (नीचे देखिये) ।

(ख) मार्च 1989 तक चरणों में बशर्ते कि लाभभोगी विकास प्रभार जमा करें ।

विवरण

वर्ष 1988-89 के दौरान पेयजल मुहैया किये जाने के लिये प्रस्तावित कालोनियों की सूची शाहदरा में जिन कालोनियों में कार्य प्रगति पर है

(क) लक्ष्मी नगर कालोनी समूह

1. कृष्ण कुंज तथा एक्सटै०
2. गुरु अमरदास नगर
3. गुरु नानकपुरा (ए, बी तथा सी)
4. अर्जुन पार्क (ब्लाक ए से एच)
5. पूर्वी गुरु अंगद नगर (लक्ष्मी मार्किट से पूर्वी सहित)
6. पश्चिमी गुरु अंगद नगर
7. गुरु अंगद नगर तथा एक्सटै०
8. गुरु रामदास नगर (मुख्य तथा ब्लाक ए, बी, सी तथा के)
9. लक्ष्मी नगर (मुख्य जे तथा के ब्लाक और एक्सटै०)
10. विजय ब्लाक (जवाहर पार्क पूर्वी और पश्चिमी सहित)
11. जगतराम पार्क (ब्लाक एल,एम,एन लक्ष्मी नगर)
12. लक्ष्मी नगर (ब्लाक एच से एफ)
13. रमेश नगर (रमेश पार्क सहित)
14. लक्ष्मी नगर ब्लाक ए से पी तथा जी एफ एफ जे, जे एक्सटै० आदि

15. लक्ष्मी नगर (पी पी ब्लाक)
16. ललिता पार्क
17. विश्वकर्मा पार्क
18. नारायण नगर
19. लक्ष्मी नगर जैड ब्लाक

शकरपुर समूह कालोनियां

20. गांव शकरपुर तथा एक्सटै० (हरिजन बस्ती)
21. सुन्दर ब्लाक
22. गणेश नगर सहित गणेश नगर–I तथा विस्तार और गणेश नगर–II तथा विस्तार
23. शकरपुर ब्लाक ए से एच (आर ब्लाक सहित)
24. स्कूल ब्लाक 1 तथा 2
25. उपाध्याय ब्लाक
26. शकरपुर डब्ल्यू ए ब्लाक
27. शकरपुर डब्ल्यू बी ब्लाक
28. नानकपुरा
29. प्लाटों की दो पंक्तियां
30. अर्जुन नगर (लेहरी कालोनी)

अनुमोदन के प्रक्रियाधीन

31. सुभाष पार्क एक्सटै०
32. गणेश नगर–I (दक्षिणी) तथा एक्सटै०
33. (क) मंडावली रेलवे कालोनी
    (ख) मंडावली ऊंचे पार
34. पूर्वी विनोद नगर
35. पश्चिमी ज्योति नगर एक्सटै० (लोनी रोड पर)
36. पश्चिमी विनोद नगर (कुमाऊं स्क्वायर)
37. दुर्गापुरी एक्सटै० तथा हरदेवपुरी
38. नाथू कालोनी
39. अशोक नगर (ब्लाक ए, बी, सी, डी)
40. पांडव नगर (पटपड़ गंज रोड)
41. चन्द्र नगर पश्चिमी
42. कृष्णापुरी (छोड़ी गई गलियां)
43. अर्जुन नगर पश्चिमी
44. इंदिरा पार्क

घोंडा ब्रह्मपुरी संमूह (जिनको शामिल किया जाना है

45. ब्रह्मपुरी
46. करतार नगर
47. चौहान बांगर
48. जाफराबाद
49. पूर्वी मौजपुर
50. घोंडा एक्सटै०
51. कैतवाडा
52. जगजीत नगर
53. गमसी
54. अरविंद नगर
55. जयप्रकाश नगर
56. गढ़ी मांडली गांव एक्सटै०
57. ब्रह्मपुरी एक्स ब्लाक
58. ब्रह्मपुरी हरिजन कालोनी
59. जगजीवन नगर
60. भगत सिंह कालोनी
61. नया गांव एक्सटै०
62. मोहल्ला सुभाष
63. मोहनपुरी
64. अम्बेडकर बस्ती
65. गौतमपुरी
66. शास्त्री पार्क ब्लाक ए, बी, सी
67. शास्त्री पार्क सीलमपुर के पास

(ख) ग्रामीण क्षेत्र

68. कृष्णा पार्क
69. जवाहर पार्क
70. राज पार्क
71. बिकारी पार्क

(ग) सिविल लाइन क्षेत्र

72. यादव नगर
73. टैम्पल कालोनी
74. मास्टर कालोनी

75. चन्द्रावल या मैंग जीन रोड
76. संजय नगर
77. महेन्द्र नगर

(घ) उत्तम नगर समूह की कालोनियां (प० क्षेत्र)

78. एल जैड एम ब्लाक प्रेम नगर
79. दयाल सर
80. साउथ एक्सटै०
81. प्रेम नगर

(ङ) एन०डी०एस० क्षेत्र

82. जोगा बाई एक्सटै०
83. जाकिर नगर
84. गफूर मंजिल
85. गफूर नगर
86. जामिया नगर

Buffer stocks of wheat and rice

1103. PROF. C. LAKSHANNA: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether there has been depletion in the buffer stocks of wheat and rice during the year 1987-88;

(b) what has been the procurement shortfall, if any, during the same period; and

(c) whether Government have decided to import rice in order to maintain the buffer stock?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES (SHRI D. L. BHITHA): (a) Yes, Sir; the stocks of wheat and rice with the public agencies were drawn down during 1987-88.

(b) Procurement during the year 1987-88 was lower than that in 1986-87 by 2.66 million tonnes in case of wheat and 2.53 million tonnes in case of rice.

(c) The Government keeps open the option to import rice and wheat from other countries in order to replenish the buffer stocks.

आलू का उत्पादन

1104. **श्री राम नरेश यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान देश में आलू का कितना उत्पादन हुआ,

(ख) उक्त अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में आलू का कितना उत्पादन हुआ ;

(ग) विभिन्न शीत-गृहों की आलू भंडारण क्षमता कितनी है और राज्य में प्रति वर्ष कितने आलू की खपत होती है ; और

(घ) राज्य के किसानों की पर्याप्त शीत भंडारण सुविधा उपलब्ध न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) 1987-88 के लिए आलू के उत्पादन के पक्के अनुमान राज्यों से प्राप्त होने का समय अभी नहीं हुआ है।

(ग) उत्तर प्रदेश में विभिन्न शीत भण्डारों की क्षमता करीब 2310000 मीटरी टन है। उत्तर प्रदेश में आलू की खपत के संबंध में कोई सरकारी अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(घ) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सहकारी क्षेत्र में शीत भण्डारों के सृजन के लिए राज्य सरकार को सहायता देती है, बशर्ते कि वह आर्थिक रूप से सक्षम हो।

आलू के लिये शीत भंडार-गृहों की सुविधा

1105. **श्री राम नरेश यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में आलू-उत्पादकों को